इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 482] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2013—आश्विन 23, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2013

क्र. एफ-24-14-2013-एक-10.—दिनांक 13 अक्टूबर 2013 को दतिया जिले की सैवढ़ा, तहसील में नवदुर्गा नवमी के अवसर पर रतनगढ़ माता के मंदिर में प्रार्थना हेतु श्रद्धालुओं के पुल पार करते समय भगदड़ के कारण दुर्घटनावश तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा कुछ घायल हैं.

2. और, यत:, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषयों में जांच किये जाने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है, अर्थात् :—

(1) क्या जिला प्रशासन द्वारा रतनगढ़ माता मंदिर में नवदुर्गा के समय होने वाले सार्वजनिक दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं हेतु पर्याप्त कानून व्यवस्था एवं प्रबंधन किया गया?

(2) दिनांक 13 अक्टूबर 2013 की परिस्थितियों में जिसमें उक्त घटना हुई, उसके क्या कारण थे और उसके लिए कौन-कौन किस हद तक उत्तरदायी थे?

(3) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या समुचित कदम उठाये जाने चाहिये तथा उपाय किये जाने चाहिये?

3. अतएव, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एकल सदस्य अर्थात् **न्यायमूर्ति श्री राकेश सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय** से मिलकर बनने वाला एक जांच आयोग सार्वजनिक महत्व के उपर्युक्त विषयों की जांच करने हेतु नियुक्त करती है.

4. आयोग का मुख्यालय ग्वालियर में होगा.

5. आयोग इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से दो मास के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा.

No. F-24-14-2013-I-10.—WHEREAS, on 13th October 2013 in district Datia Tehsil Sewada, some pilgrims while crossing the bridge to offer prayers at the Mandir of Mata Ratangarh on the occasion of Nav Durga Navmi died and some where grievously injured due to an accidental stampede.

2. AND, WHEREAS, the State Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into the following matters of public importance, namely :—

(1) Whether adequate law and order measures were taken by the district administration for the pilgrims who were visiting Mata Ratangarh Mandir to offer prayers and worship on the occasion of Nav Durga?

(2) Under what circumstances the mishap took place on 13th October 2013 and what were the reasons and who were responsible and upto what extent?

(3) What appropriate steps and measures should be taken to prevent recurrence of such incidents in future?

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government, hereby, appoints a Commission of Inquiry consisting of a single member, namely Justice Shri Rakesh Saxena, retired judge of Madhya Pradesh High Court to inquire into the aforesaid matters of public importance.

4. The headquarters of the commission shall be at Gwalior, Madhya Pradesh.

5. The Commission shall complete its inquiry and submit its report to the State Government within two months from the date of publication of this Notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.